रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 8, 2002/पौष 18, 1923
No. 20] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 8, 2002/PAUSA 18, 1923

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2002

का.आ. 35(अ).– करतब दिखाने वाले पशु (रजिस्ट्रीकरण) संशोधन नियम, 2001 का प्रारूप पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960(1960 का 59) की धारा 38 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 17 अक्तूबर, 2001 में संस्कृति मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का0आ0 1044 (अ) तारीख 17 अक्तूबर, 2001 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव माँगे गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ 17 अक्तूबर, 2001 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् -

1. (I) इन नियमों का संक्षिप्त नाम करतब दिखाने वाले पशु (रजिस्ट्रीकरण) संशोधन नियम, 2001 है।

(II) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. करतब दिखाने वाले पशु (रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2001 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में खंड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्-

(छ) " विहित प्राधिकारी" से केन्द्रीय सरकार या ऐसा अन्य प्राधिकारी जिसमें बोर्ड या राज्य सरकार सम्मिलित है, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाए, अभिप्रेत है,"

3. उक्त नियम के नियम 3 के उपनियम (I) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु ऐसे दौड़ के घोड़ों की बाबत, जिनका स्वामियों द्वारा टर्फ प्राधिकारियों के यहाँ रजिस्ट्रीकरण कराया जा चुका है, विहित प्राधिकारी को ऐसे रजिस्ट्रीकरण की सूचना दिए जाने पर, इस नियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित नहीं होगा और नियम 8 में यथा विनिर्दिष्ट साधारण शर्तें, ऐसी अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित की जा सकेंगी, ऐसे रजिस्ट्रीकरण को लागू होंगी।"

4. . उक्त नियमों के नियम 8 के उपनियम (I) में,-

(क) "अधिरोपित करेगा" शब्दों के स्थान पर "अधिरोपित कर सकेगा" शब्द रखे जायेंगे;

(ख) खंड (XVii) में,-

(I) "किसी गद्दीदार चाबुक से भिन्न" शब्दों के स्थान पर "धक्का अवरोधी चाबुक से भिन्न" शब्द रखे जायेंगे;

(II) "तीन से अधिक बार" शब्दों के स्थान पर "आठ से अधिक बार" शब्द रखे जायेंगे;

(III) उपखंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अन्तःस्थापित किए जायेंगे, अर्थात्-

(ङ.) प्रत्येक अश्व का दौड़ के तुरन्त और पुनः दौड़ के छह घंटे की अवधि के पश्चात् किन्तु दौड़ के आठ घंटे के भीतर क्षति की जाँच करने के लिए पशु-चिकित्सा संबंधी निरीक्षण कराया जाएगा।

(च) "अश्वों को 12 फीट X 12 फीट माप वाले अस्तबलों में रखा जाएगा जहाँ अश्वों के लिए एक-दूसरे को देख पाने की पर्याप्त सुविधा होगी तथा समुचित वातायन और ताप से संरक्षण के लिए पर्याप्त व्यवस्था होगी तथा यथासंभव पर्यावरणीय रूप से अनुकूल वातावरण होगा।"

(iV) निम्नलिखित परन्तुक अन्त में जोड़ा जाएगा, अर्थात्-

"परन्तु यदि किसी दौड़ में आठ से अधिक बार चाबुक का प्रयोग किया जाता है तो विहित प्राधिकारी अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही प्रारंभ करने के प्रयोजन के लिए टर्फ प्राधिकारियों के परामर्श से यह विनिश्चित करेगा कि क्या विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक बार ऐसे चाबुक का प्रयोग अश्व या घुड़सवार को किसी दुर्घटना से बचाने के लिए किसी कारणवश किया गया था।";

(ग) खंड XX के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्-

"और स्टेरोयेड के प्रयोग से जहाँ तक संभव हो, बचा जाएगा, परन्तु यदि किसी पशु चिकित्सा नुस्खे द्वारा अनुसमर्थित कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं है तो स्टेरोयेड का प्रयोग किया जा सकेगा और ऐसे स्टेरोयेड का क्रय किसी सम्यकतः प्राधिकृत स्रोत से किया जाएगा।";

(घ) खंड XXiV के पश्चात्, निम्नलिखित नया खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

"XXV " अश्वों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करने के इच्छुक व्यक्ति यात्रा की दशाओं को उन्नत करने ओर साथ ही अश्वों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित न्यूनतम मानदंडों का अनुपालन करेंगे, अर्थात्-

(क) किसी अश्व को इस प्रकार से नहीं बांधा जाएगा कि यात्रा के समय उसके सिर और गर्दन की गतिविधि अस्वाभाविक रूप से निबंधित हो जाए;

(ख) सभी अश्वों को कम से कम प्रत्येक चार घंटे पर पानी पिलाया जाएगा और आठ घंटे से अधिक में समाप्त होने वाली यात्रा के दौरान घास के समुचित राशन की व्यवस्था की जाएगी;

(ग) परिवहन के दौरान यान में समुचित वातायान और ताजी हवा का मुक्त प्रवाह सुनिश्चित किया जाएगा;

(घ) अधिमानतः फर्श पर बिछाने के लिए पयाल के आस्तरण के बजाए रबड़ की चटाई का प्रयोग किया जाएगा;

(ङ.) अश्वों का दौड़ में भाग लेने के बाद, चौबीस घंटे के भीतर परिवहन नहीं किया जाएगा;

(च) जहाँ यात्रा की अवधि छः घंटे से अधिक हो वहाँ तब तक किसी अश्व को नहीं दौड़ाया जाएगा जब तक कि यात्रा के पूरी होने के बाद चौबीस घंटे बीत न गए हों।

[फा. सं. 1/7/2001-ए.डब्ल्यू. डी. (खंड)]
आर. दत्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पण:-मूल नियम भारत के राजपत्र में का.आ.सं.267(अ) तारीख 26 मार्च, 2001 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION
NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2002

S.O. 35(E).—Whereas the draft Performing Animals (Registration) amendment Rules, 2001, were published, as required by Sub-section (1) of Section 38 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), vide Ministry of Culture Notification No. S.O. 1044(E), dated the 17th October, 2001 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 17th October, 2001 and whereas objection and suggestions from all persons likely to be affected thereby were invited before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification have been made available to the public;

And, whereas, copies of the said Gazette were made available to the public on the 17th October, 2001;

And, whereas no objection for suggestion has been received from the public in respect of the said draft rules by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 38 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. (1) These rules may be called the Performing Animals (Registration) Amendment Rules, 2001.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Performing Animals (Registration) Rules, 2001 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, for clause (g), the following clause shall be substituted, namely:-

   '(g) "prescribed authority" means the Central Government, or such other authority including the Board or the State Government, as may be authorized by the Central Government;"

3. In the said rules, in rule 3, in sub-rule (1), the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that the race horses which have been registered by the owners with the Turf Authorities shall not, on intimation of such registration to the prescribed authority, require registration under this rule and the general conditions as specified in rule 8 shall apply to such registration subject to such other conditions as may be imposed by the prescribed authority"

4. In the said rules, in rule 8, in sub rule (1), -

(a) for the word "shall", the word "may" shall be substituted;

(b) in clause (xvii), -

(i) the words 'an air cushioned' shall be omitted;.

(ii) for the figure and word "3 times", the words "eight times" shall be substituted,-

(iii) after sub-clause (d), the following sub-clauses shall be inserted, namely-

"(e) each horse immediately after the race and again after a period of six hours but within eight hours of the race shall be subject to the veterinary inspection to check for injuries.

(f) the horses shall be housed in stables admeasuring 12ft X 12ft with adequate facility for the horses to see each other with adequate provision for proper ventilation and protection against heat, and an environmentally friendly atmosphere as far as possible.";

(iv) the following proviso shall be added at the end, namely:-

"Provided that if the whip is used more than eight times in a race, the prescribed authority in consultation with the Turf Authorities shall decide, if the use of such whip in excess of the number specified, was for any reason to save the horse or the jockey from any accident, for the purpose of initiating any action under the Act.":

(c) in clause xx, at the end,

the following shall be added namely:-

"and the use of steroids shall be avoided as far as possible provided the steroids may be used if no other option is available to be supported by a veterinary prescription and the purchase of such steroids shall be from a duly authorized source.";

(d) after clause xxiv, the following new clause shall be inserted, namely:-

"xxv. 'persons desirous of transporting horses from one place to another shall adhere to the following minimum norms to enhance conditions of travel as also safety of the horses, namely:-

(a) no horse shall be tied up in such a way that his head and neck movements are unnaturally restricted while travelling.

(b) all horses must be watered at least every four hours and provided adequate ration of hay during the journey lasting more than eight hours.

(c) adequate ventilation and free flow of fresh air in the vehicle shall be ensured during transport.

(d) rubber mats shall preferably be used for flooring instead of straw bedding.

(e) horses shall not be transported within twenty four hours of having raced.

(f) no horse shall be raced, where the period of journey exceeds six hours, unless twenty four hours have elapsed since completion of the travel."

[F. No. 1/7/2001-A.W.D (Pt)]
R. DATTA, Jt. Secy.

Foot Note :—The principal rules were published vide number S.O. 267(E) dated, the 26th March, 2001.

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.